



आगामी विधानसभा चुनावों के महानेजर भाजपा प्रदेश भर की 200 विधानसभा सीटों पर जनक्रोश यात्रा करने जा रही हैं, जिसकी तैयारी के सम्बंध में जयपुर में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को संबोधित किया।

## भाजपा की 200 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर जयपुर में हुई कार्यशाला

**डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, आपको भरोसा देता हूँ कि 2023 और 2023 के बाद अनंतकाल तक भाजपा राजस्थान में सत्ता का माध्यम बनेगी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता राज करेगी और इसलिए यह संघर्ष कांग्रेस के जंगलराज के खिलाफ आपातकाल जैसा ही है**

जयपुर, 23 नवम्बर (का.सं.)। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की भाजपा जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर सी स्वीम स्थित महावीर स्कूल सभागार में जिला व विधानसभा संयोजक व सह संयोजकों की कार्यशाला को संबोधित किया।

जन आक्रोश यात्रा कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासन में जनविरोधी नीतियों व वादाखिलाफी से हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई नौजवान केवल 35 सौ रुपये कर्ज के कारण ना केवल अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, बल्कि उसका पूरा परिवार अपने प्राणों को त्यागने को मजबूर हो जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं होगा कि श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर का सोहनलाल कडेल अपना लाइव वीडियो बनाकर यह कहा कि "मैं अपनी मौत को इसलिए गले लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कर्ज से तंग आकर आत्मदाह कर रहा हूँ, जिस प्रदेश के मुखिया को किसी अबला के 35 टुकड़े किए जाने पर सामान्य घटना लगती है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का 1 वर्ष का आंकड़ा 6337 हो, प्रतिदिन औसत 17 बलात्कार, 7 हत्या, जिसके खत में दर्ज हो, चार वर्षों में सवा 8 लाख से अधिक मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज होते हैं, आपके घर नवजात पैदा होता होगा आप लोग खुशियां मनाते होंगे, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपस्ती में जब कर्ज का आंकड़ा 5 लाख करोड़ के लगभग पहुंचता है तो वह बेटा-बेटी 80 हजार का कर्जा लेकर पैदा होता होगा।

उन्होंने कहा कि करोना त्रासदी के 2 साल बहुत ही मुश्किल से निकले, लेकिन इस दौरान भाजपा के 685 कार्यकर्ताओं ने सेवा करते करते अपने प्राणों का उर्सम कर दिया।

पूनिया ने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान की 30 प्रतिशत से ज्यादा है, 70 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी थी, 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कहते घूम रहे हैं कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 69 लाख का क्या होगा यह रोडमैप राज्य सरकार के पास नहीं है। हर 12 किलोमीटर पर प्रध्ताचार की रफ्तार है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजस्थान की धरती पर जब पहला कदम रखेंगे, मेरा पहला सवाल होगा किसान कर्जमाफी के वादे को लेकर पता नहीं वर्ष 2018 की जनसभा में किसने राहुल गांधी को पर्चा पहुंचाई और जब वो कह रहे थे कि 1 से 10 तक गिनती गिनुंगा किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, राजस्थान के 60 लाख किसान 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्ज की माफी का आज भी इंतजार करते हैं।

पूनिया ने कहा कि "मुझे पता लगा कि राहुल की मालाखेड़ा में सभा है, अलवर के मालाखेड़ा में बड़ा रोचक वाक्या हुआ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई तो तुरंत नौकरी, एक नौजवान को खड़ा किया और पूछा

- कार्यशाला में प्रदेशभर से 500 से अधिक जिला व विधानसभा संयोजक एवं सह संयोजक जुटे।
- राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा और कमल के फूल के छाते के नीचे आपकी पहचान, आपका स्वामिमान, आपका गौरव, आपकी खूबी, आपका वर्तमान, आपका भविष्य यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, मिशन 2023 के विजय संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध होकर जुट जाएं।

उन्होंने कहा कि "यह अराजकता के खिलाफ लड़ाई है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है, जिस मानसिकता में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। यह कैसा प्रदेश है कैसा शासन है, रामनवमी के जूलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर अत्याचार हो, रमजान का गुणगान किया जाए। मैं कौं सियासी बात नहीं कर रहा, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली यह वो सारे स्थान हैं जिसमें अत्याचारों और तुष्टिकरण की आपने पराकाष्ठा देखी होगी, केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल सियासी रोटी सेकना, केवल केन्द्र सरकार को बदनाम करने का काम करना, इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है।"

इस दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, हेमराज शर्मा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री कालुलाल गुर्जर, गजेंद्र सिंह खोसर, सुरेन्द्र पाल सिंह टोटी, प्रदेश मंत्री ब्रज सिंह बगड़ी, महेंद्र जाटव, मधु कुमावत इत्यादि भी उपस्थित रहे।

इससे पहले, अदालत ने कहा कि "संविधान की खामोशी" का सरकारें अनुचित लाभ लेते रही हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ ने कहा कि 2004 के बाद, किसी भी सी.ई.सी. ने छ: वर्ष का

आपका क्या नाम है उसने कहा कि, रूपसिंह, रूपसिंह को नौकरी पक्की। अब 4 साल हो गए रूपसिंह बेचारा चक्कर काटते ही घूम रहा है। इसलिए जब राजस्थान की धरती पर राहुल गांधी कदम रखें तो इन बातों का जवाब जरूर लेकर आएं।"

उन्होंने कहा कि "यह अराजकता के खिलाफ लड़ाई है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है, जिस मानसिकता में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। यह कैसा प्रदेश है कैसा शासन है, रामनवमी के जूलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर अत्याचार हो, रमजान का गुणगान किया जाए। मैं कौं सियासी बात नहीं कर रहा, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली यह वो सारे स्थान हैं जिसमें अत्याचारों और तुष्टिकरण की आपने पराकाष्ठा देखी होगी, केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल सियासी रोटी सेकना, केवल केन्द्र सरकार को बदनाम करने का काम करना, इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है।"

इस दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, हेमराज शर्मा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री कालुलाल गुर्जर, गजेंद्र सिंह खोसर, सुरेन्द्र पाल सिंह टोटी, प्रदेश मंत्री ब्रज सिंह बगड़ी, महेंद्र जाटव, मधु कुमावत इत्यादि भी उपस्थित रहे।

इससे पहले, अदालत ने कहा कि "संविधान की खामोशी" का सरकारें अनुचित लाभ लेते रही हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ ने कहा कि 2004 के बाद, किसी भी सी.ई.सी. ने छ: वर्ष का

आपको भरोसा देता हूँ कि 2023 और 2023 के बाद अनंतकाल तक भाजपा राजस्थान में सत्ता का माध्यम बनेगी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता राज करेगी और इसलिए यह संघर्ष कांग्रेस के जंगलराज के खिलाफ आपातकाल जैसा ही है

उन्होंने कहा कि "यह अराजकता के खिलाफ लड़ाई है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है, जिस मानसिकता में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। यह कैसा प्रदेश है कैसा शासन है, रामनवमी के जूलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर अत्याचार हो, रमजान का गुणगान किया जाए। मैं कौं सियासी बात नहीं कर रहा, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली यह वो सारे स्थान हैं जिसमें अत्याचारों और तुष्टिकरण की आपने पराकाष्ठा देखी होगी, केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल सियासी रोटी सेकना, केवल केन्द्र सरकार को बदनाम करने का काम करना, इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है।"

इससे पहले, अदालत ने कहा कि "संविधान की खामोशी" का सरकारें अनुचित लाभ लेते रही हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ ने कहा कि 2004 के बाद, किसी भी सी.ई.सी. ने छ: वर्ष का

इससे पहले, अदालत ने कहा कि "संविधान की खामोशी" का सरकारें अनुचित लाभ लेते रही हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ ने कहा कि 2004 के बाद, किसी भी सी.ई.सी. ने छ: वर्ष का

## ‘माही सागर बांध का पानी जालोर, बाड़मेर व सिरोही आयेगा’

**हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि, जनवरी 2023 तक, इस पानी को राजस्थान लाने के लिए विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट पेश करे**

जालोर, 23 नवम्बर (का.सं.)। राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर के अध्यक्ष सेवानिवृत्त तहसीलदार ब्रदींदान ने बताया कि संघर्ष समिति की ओर से मैंने गुजरात के विभागों में 446 बार आरटीआई लगाकर सूचनाएं मांगी। उन दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उसके आधार पर उच्च न्यायालय ने अब राज्य सरकार को जनवरी के दूसरे सप्ताह में योजना बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह किसानों की पहली जीत है, हम प्रयास करेंगे कि सरकार इस सत्र में माही परियोजना के लिए बजट जारी करे।

ब्रदींदान ने कहा जालोर समेत बाड़मेर और सिरोहीवासियों के लिए खुशखबरी है। पिछले लंबे समय से माही बजाज सागर परियोजना को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से किए जा रहे प्रयासों को कुछ हद तक राहत मिली है। दरअसल, समिति की ओर से माही बांध के पानी को जालोर, सिरोही व बाड़मेर को उपलब्ध करवाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में मार्च 2021 में एक जनहित याचिका दायर की थी, उसमें अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह तक एक प्लान बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को जालोर में प्रेसवार्ता के दौरान कहा, राज्य सरकार को किसान संघर्ष समिति की ओर से दिए गए चार सुझावों के साथ-साथ खुद का विकल्प भी शामिल करने को निर्देश दिया है।

समिति पदाधिकारियों ने बताया कि अब न्यायालय का सहयोग मिलने से भरोसा बढ़ गया है, इसके कार्य की योजना को लेकर समिति की ओर से 28 नवम्बर को नरपुरा में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, ताकि सरकार माही बजाज योजना के लिए इस बजट सत्र में बजट जारी कर सके। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का माही बांध एवं गुजरात में बने कड़ाणा बांध के पानी के वितरण का समझौता हुआ था। जिसमें प्रथम पंचम बिंदु में साफ लिखा है कि माही व कड़ाणा बांध के पानी पर पश्चिमी राजस्थान का हक है। इस समझौते पर राजस्थान के तत्कालीन कृषि मंत्री नाथुराम मिश्रा, गुजरात के जल संसाधन सचिव एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री विजय त्रिवेदी के हस्ताक्षर

### ‘मोटर यात्रा...’

अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि वर्ष 2016 में संघ के पत्र पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किए थे, लेकिन छह साल बाद भी सिर्फ स्टेटोग्राफर और लेखाधिकारी ही नियुक्त किए गए, लेकिन सभी सिफ्टे ये पद भी पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेशों से श्रम न्यायालय और अन्य न्यायालयों को भी मोटर वाहन के लिम्बट दावे हस्तांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर लेखाधिकारी और स्टेटोग्राफर तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, जिससे अधिकांश काम ठीक से नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय शाह ने कहा कि हाईकोर्ट ने विभिन्न निर्देशों में सिर्फ स्टेटोग्राफर और लेखाधिकारी के पद ही भरने का कहा था, जो अतिक्रमण जगह भर दिए गए हैं। हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने पैरवी की।

मुख्याध्यापी पंकज मिश्रल और न्यायाधीश रेखा बोरपाणा को खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दो सप्ताह में तालिका और शपथ पत्र पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकांशों में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और इनकी संख्या कितनी है। राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताएं कि रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा।

### ई.डब्ल्यू.एस...

“निष्प्रभावी करने” के लिये आधारभूत सैद्धान्तिक ढाँचे का प्रयोग “तलवार” के रूप में करने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। बँच ने 3:2 के बहुमत 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में फैसला दिया था।

संविधान में इस बावत कोई “चैक्स एवं बैलेन्सेज” नहीं है। इस तरह से संविधान की खामोशी का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। चौँके को कानून ही नहीं है, अतः कानूनी रूप से वे (सरकारें) सही हैं। कानून के अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता।

बँच ने अटॉर्नी जनरल आर. वैकटरमानी से कहा, “2004 के बाद सी.ई.सी. की कार्यपालिका को अधिकार का संचालन दो वर्ष से ज्यादा नहीं रहा। कानून के अनुसार, सी.ई.सी. का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक रहना

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू होने वाली माही नदी, जिस पर माही सागर बांध बना है, में सात नदियों का संगम होता है। वर्ष 1966 में राजस्थान सरकार व गुजरात के बीच समझौता हुआ था कि, इसका 9 टी.एम.सी. फीट (थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट) पानी राजस्थान को तथा 4 टी.एम.सी. फीट पानी गुजरात को दिया जाएगा।

गुजरात के कड़ाणा बांध के संबंध में डी.एन. खोसला की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 1965 में कड़ाणा बांध का दो तिहाई पानी राजस्थान को देने का फैसला दिया था।

1988 में नर्मदा टर्मिनल की स्थापना की गई। हाई कोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीशों की उपस्थिति में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में जब नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब कड़ाणा बांध से 40 टी.एम.सी. फीट पानी टनल के जरिए जालोर, सिरोही, बाड़मेर को दिया जाएगा।

विडम्बना यह रही कि, 1988 से लेकर वर्ष 2000 तक इस समझौता पत्रावली पर किसी भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, वर्ष 2002 में मुख्य अभियंता, बजाज सागर परियोजना, ने गुजरात सरकार को एक राजकीय पत्र भेजा, उसके पश्चात 3 मार्च 2005 को राजस्थान सरकार की टीम सर्वे करने गुजरात गई।

वर्ष 2008 से 2013 के बीच यह महत्वपूर्ण भागीरथी परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन अब राजस्थान किसान संघर्ष समिति का पिछले 14 साल का संघर्ष रंग लाने लगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को योजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि माही बांध का पानी बाड़मेर, जालोर के लोगों को उपलब्ध करवाया जाए।

ने अपने हक का पानी पाने के लिए आवाज उठायी पर गुजरात सरकार ने पानी देने पर राजी नहीं हुई। वर्ष 1988 में नर्मदा टर्मिनल की स्थापना की गई। जिसमें दो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की उपस्थिति में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार जब गुजरात के खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब 40 टीएमसी पानी व कड़ाणा बांध का पानी जालोर सिरोही बाड़मेर को टनल द्वारा दिया जाएगा।

विडम्बना यह रही कि 1988 से लेकर 2000 तक इस समझौता पत्रावली पर किसी भी सरकार पार्टी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, 2002 में मुख्य अभियंता बजाज सागर परियोजना द्वारा गुजरात सरकार को एक राजकीय पत्र दिया गया, उसके पश्चात 3 मार्च 2005 को राजस्थान सरकार की टीम गुजरात में सर्वे पर गई। इसके पश्चात 2006 में राजस्थान सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया कि जिसमें पूरी परियोजना का अध्ययन कर अरावली पर्वतमाला में सुरंग कर विशाला भीममाल के पास लाने के लिए निविदा आमंत्रित करने के आदेश दिए और 1 से 3 फरवरी 2006 तक माही, बनास, साबरमती डायवर्जन टनल की प्रगति के लिए सर्वे हुआ,

जिसकी अनुमानित लागत 6500 करोड़ तय की गई। परंतु रिपोर्ट आने तक सरकार बदल गई और 2008 से 2013 तक यह फिर से जालोर सिरोही बाड़मेर की महत्वपूर्ण भागीरथी परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब राजस्थान किसान संघर्ष समिति को पिछले 14 साल का संघर्ष अंत रंग लाने लगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से राज्य सरकार को इन सुझावों पर योजना बनाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं ताकि माही बांध का पानी बाड़मेर जालोर के लोगों को उपलब्ध करवाया जाए

भारतीय किसान संघ समिति के संयोजक विक्रमसिंह पुनासा ने बताया कि आर.टी.आई. से प्राप्त जानकारी के आधार पर उच्च न्यायालय में रिट पेश करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने तो यह कह दिया कि हमें इस सम्बंध में जानकारी तक नहीं है। राज्य सरकार ने कुछ सहयोग जरूर किया क्योंकि, इस पानी की जालोर व बाड़मेर को जरूरत है। अब हाईकोर्ट के निर्देश से हमें कुछ हौसला मिला है। उम्मीद है सरकार भी योजना बनाकर बजट जारी करेगी।

## महाराष्ट्र का एम.बी.ए...

बिहार के मुख्यमंत्री तथा उनके उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सहित, अन्य राज्यों में गैर-भाजपा गठबंधन को प्रयासों में लगे हुये हैं तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव सहित, बहुत विपक्षी औपचारिक रूप देते हैं तो पार्टी की संभावना को कुछ बेहतर हो सकती हैं। शिव सेना को साथ लिए, महागठबंधन के नेता ऐसा मान सकते हैं कि शिव सेना उनके लिये वैसी सिद्ध हो सकती है, जैसे चिराग पासवान भाजपा के लिये सिद्ध हुये थे, क्योंकि शिव सेना स्वयं को भाजपा की तुलना में, कहीं ज्यादा निष्ठावान हिन्दुत्व-पार्टी के रूप में प्रोजैक्ट करने की कोशिश करेगी।

महागठबंधन नेताओं तथा शिव सेना यू.बी.टी. के बीच सामंजस्य बैठाने के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, माहील अनुकूल दिखाई दे रहा है। आदित्य के साथ हुई मॉटिंग के बाद, तेजस्वी ने कहा, “वर्तमान चुनौती कानून एवं लोकतंत्र को बचाने की है तथा हम इन्हें बचाने के लिये सब कुछ करेंगे।” आदित्य टाकर ने कहा, “हम एक-दूसरे से सम्पर्क में रहे हैं लेकिन कोविड की स्थिति के कारण हमारी मुलाकात एवं मॉटिंग नहीं हो सकी। हमने कई बिन्दुओं पर चर्चा की, लेकिन राजनीति पर नहीं। हमारी मित्रता बनी रहेगी।”

### ‘विद्युत नियामक ...’

दिये गये सिद्धांतों को लागू करने वाले आवश्यक नियम तैयार नहीं किये हैं, जबकि केन्द्र तथा राज्यों ने विद्युत-क्षेत्रों के नियमों के लिये नीतियां तथा गाइडलाइन्स तैयार कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धर्मजयवाई, चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना एवं जे.बी. पाटीवाला की बँच ने कहा कि जहाँ-जहाँ आयोगों ने नियम तैयार कर दिये हैं, उनमें संशोधन किये जायेंगे ताकि उनमें शुल्क-निर्धारण की रीति-नीति के चयन के लिये मानकों से संबंधित प्रावधान शामिल किये जा सकें। बँच ने कहा कि नियामक आयोग को इन नियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट जरूरतों का ख्याल रखना होगा। बँच ने यह भी कहा कि शुल्क निर्धारण के लिये लम्बे समय तक चलने वाली प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे इस प्रकार लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच सकें।

सैल्फ-सर्विंग है तथा सरकार इसे समाप्त नहीं होने देगी। सत्ता में आने वाली प्रत्येक पार्टी इस पर अपनी पकड़ बनाने रखना चाहेगी। बँच ने चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा, “अब प्रश्न यह उठता है कि जब चुनावों के शुद्ध तथा निष्पक्षता, लोकतंत्र के साथ गुंथी हुई हों तो क्या अदालत को खामोश रहना चाहिए।

‘फुटबॉल...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया है जिसमें कोर्ट ने 18 मई और 3 अगस्त के आदेश को बदलने की मांग की गई थी ताकि फीफा निलम्बन को वापस ले ले और भारत को अण्डर-17 वीमैनस वर्ल्ड कप फुटबॉल के आयोजन का अधिकार मिले। देश में पहली बार 11-30 अक्टूबर को फीफा इवेंट का आयोजन किया गया।